अनुदान संख्या 102 - लेखन सामग्री तथा मुद्रण
GRANT No. 102 - STATIONERY AND PRINTING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**			
स्वीकृत -	Voted -	228,64,00	222,80,78	-5,83,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			34,00
पूंजीगत :	**Capital:**			
स्वीकृत -	Voted -	13,00	14,86	+1,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2058"	Major Head "2058"				
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	Stationery and Printing				
मू.	O.	21920.00	21815.00	21298.09	-516.91
पु.	R.	-105.00			

(I) "सरकारी मुद्रणालय - मुद्रणालय" के अंतर्गत ₹1277.11 लाख की बचत (₹16358.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-निविदा प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं होने की वजह से कागज की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने और वाणिज्य मंत्रालय से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Government Presses – Printing Presses" - saving of ₹1277.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16358.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement proposal of paper owing to non-availability of e-tender platform and non-receipt of claims from the Ministry of Commerce.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹58.14 लाख की बचत हुई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत थी।

(II) Under one head saving of ₹58.14 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें "सरकारी प्रकाशन - प्रकाशन नियंत्रक" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं- ₹755.73 लाख का अधिक व्यय (₹1605.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार मुद्रणालय के बकाया मुद्रण प्रभार दावे का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, विद्युत, अन्य आकस्मिक बिलों तथा संशोधित आश्वासित करियर प्रोन्नति स्कीम के कार्यान्वयन की वजह से वेतन और भत्तों के बकायों के भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

2.(I) The above savings were partly offset by excess under "Government Publications – Controller of Publications" – excess of ₹755.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1605.50 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear outstanding printing charges claim of Government of India presses, payment of electricity, other contingent bills and arrears of pay and allowances owing to implementation of modified assured career progression scheme (MACP).

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹68.05 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

(II) Under one head excess of ₹68.05 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹1.86 लाख अधिक हुआ (वास्तविक अधिक व्यय ₹1,85,941 था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगे स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

3. In the capital section of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹1.86 lakhs (actual excess was ₹1,85,941). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुआ:-

Excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
मुख्य शीर्ष "4058" लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4058" Capital Outlay on Stationery and Printing	13.00	14.86	+1.86

(I) "सरकारी मुद्रणालय - मुद्रणालय" के अंतर्गत - ₹1.86 लाख का अधिक व्यय (₹13.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के बकाया दावों को निपटाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Under "Government Presses – Printing Presses" – excess of ₹1.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear outstanding claims of previous year.

4. ***सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि:-***

सरकारी गैर-वाणिज्यिक विभाग की मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) का गठन संयंत्र, मशीनरी और फर्नीचर का नवीकरण और प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए आरक्षित पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक पद्धति को शुरू कराने के लिए किया गया था ताकि मुद्रणालय को स्वत: कुशल कार्यस्थिति में रखा जा सके। मूल्यह्रास की गणना मुद्रणालय के कार्य यात्रा उत्पादन में उपयोग हो चुकी परिसंपत्तियों के मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निधि में इतनी धनराशि होगी जो सामान्य टूट फूट पर खर्च होने वाली पूंजी की तुलना में पर्याप्त होगी। निधि को सरकारी लेखों में जमा के रूप में माना जाएगा और निधि को देय प्राप्तियों को वर्ष के दौरान निकाली गई मूल्यह्रास की वास्तविक राशि के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखों की समाप्ति से ठीक पहले जमा कर देना होगा। विभाग की सूचना के आधार पर बचत प्रावधान किया जाता है। सरकारी मुद्रणालयों में मूल्यह्रास निधि के नियमावली के नियम 4 के अनुसार समय-समय पर शेष राशि पर ब्याज को निधि में इसलिए जमा नहीं किया जाएगा क्योंकि सरकारी मुद्रणालयों में लागत प्रणाली में ब्याज की गणना मूल पूंजीगत मूल्य पर नहीं बल्कि ह्रासित पूंजीगत मूल्य पर ही की जाती है। इसके अतिरिक्त, उक्त नियमावली के नियम 6 के अनुसार निधि से व्यय शुरू में उपयुक्त विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध किया जाना चाहिए और वर्ष के अंत में उतनी ही राशि जमा लेखा मूल्यह्रास निधि से विस्तृत शीर्ष को अंतरित की जाएगी।

4. ***Depreciation Reserve Fund of Government Non-commercial department:-***

Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) was constituted for introducing the commercial practice to provide a reserve sufficient fund to meet the required cost for renewal and replacement of plant, machinery and furniture so that the Press may be kept automatically in an efficient working condition. Depreciation is calculated on the value of assets which had been used in producing the outturn of the Press. The Fund will accordingly contain an amount of money sufficient to replace the capital consumed by normal wear and tear. The fund shall be treated as a deposit in the Government accounts and receipts due to the Fund shall be credited immediately prior to the closing of the accounts of each financial year on the basis of the actual amount of depreciation worked out during the year. Budget provision is made on the basis of intimation from the Department. As per Rule 4 of Rules for the Depreciation Fund in Government Presses, interest on the balances in hand from time to time will not be credited to the fund owing to the fact that the costing system in Government Presses includes a calculation of interest, not on the original capital value, but on the depreciated capital value only. Further as per Rule 6 of the said Rules Expenditure from the fund must be accounted for in the first instance under the appropriate detailed head and at the end of the year an equivalent sum will be transferred from the Deposit Head depreciation Fund to the detailed head.

वर्ष 2010-2011 के लिए सरकारी मूल्यह्रास आरक्षित निधि (गैर-वाणिज्यिक विभाग) की राशि इस प्रकार थी :-

Account of Depreciation Reserve Fund of Government (Non-commercial department) for 2010-2011 was as follows:-

	(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)	
अथ शेष	Opening Balance	22,82,50
प्राप्तियां	Receipts	1,76,57
अदायगियां	Payments	..
अंत शेष	Closing Balance	24,59,07